पत्रांकः उ0शि0आयोग/सी–759/ 459 /2019–20 दिनांक : 17 जुलाई, 2019

विषयः आयोग के पोर्टल पर विज्ञप्ति अपलोड किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित विज्ञप्ति को आयोग के पोर्टल www.uphesconline.org पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18–ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज–211 001

उ0शि0आयोग/सी–759/459 (1)/2019–20 दिनांक : 17 जुलाई 2019

प्रेस–विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन सं0–47 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में विज्ञापित सहायक आचार्य पदों की लिखित परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के **अन्तिम अंक** (Cut Off) **अनारक्षित वर्ग** के अभ्यर्थियों से अधिक होने पर प्राप्त आपत्तियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों में भ्रामक सूचना फैलाकर आयोग की शुचिता, गरिमा एवं विश्वसनीयता को अकारण कम किया जा रहा है।

अभ्यर्थियों के पत्रों को आयोग द्वारा संज्ञान लेकर यह स्पष्ट करना है कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का निर्धारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यापकों की चयन प्रक्रिया) विनियमावली–2014 के बिन्दु–6(2) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वर्गवार रिक्त पद के सापेक्ष पाँच गुने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। ध्यातव्य है कि ये रिक्तियां वर्गवार (आरक्षण प्राविधानुसार) उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोग को प्राप्त होती हैं अर्थात् आयोग को वर्गवार रिक्तियों की संख्या को घटाने बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग मात्र परीक्षादायी संस्था है।

साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के बिन्दु–3(6) में स्पष्ट किया गया है कि **"यदि उपधारा–(1) के अनुसार आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर यदि सामान्य की मेरिट में स्थान पाता है तो वह भी सामान्य श्रेणी में ही चयनित किया जा सकेगा।"** इस प्राविधान का आयोग द्वारा पूर्ण अनुपालन किया जाता रहा है।

यह भी स्पष्ट करना है कि लिखित परीक्षा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया की एक बीच की कड़ी है जिसमें अभ्यर्थियों को मात्र साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। ध्यातव्य है कि लिखित परीक्षा का परिणाम चयन नहीं होता है, आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विनियमावली–2014 के बिन्दु–6(2) **साक्षात्कार के पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के (लिखित परीक्षा + साक्षात्कार) प्राप्त अंकों की समेकित मेरिट सूची के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के बिन्दु–3(6) के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित (Unreserved) सामान्य श्रेणी में चयनित किये जा सकेगें।**

इस प्रकार आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया गया है, बल्कि चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा आरक्षण सम्बन्धी नियमों, अधिनियमों एवं संवैधानिक व्यवस्था के अधीन स्थापित सभी मानकों का विधिवत् अनुपालन किया गया है।

सचिव
उ0शि0 आयोग

17/7/19.
(वन्दना त्रिपाठी)
सचिव